19/2/2026	सील शाखी दफ्तर, अशाखी संख्या 01 दफ्तर नहीं। बार-बार आदेश जारी किये गये। परंतु नहीं। उक्त तथ्य अभिलेख की पत्रावली है। वादिनी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा देवरिया प0ह0 पोवली की आ0नि0 180 रकबा 0.58 हेक्टेयर अशाखी संख्या 01 के साथ दर्ज रेकर्ड है जो कि खातिक आ0सं0 140 से बने है जो कि वादी पिता अमर चन्द्र पुत्र नि0 देवरिया के नाम दर्ज था। जो कि शाखी संख्या 1, 2 व 3, 4 के पिताश्री हरका व पन्ना को पॉवर विल पत्र विक्रय की गई। उक्त क्रमेण राजस्व रेकर्ड में लगातार के दर्ज रहेगा व नामान्तरण नहीं हुआ जिसमें अशाखी संख्या 01 त्रुटि-पूर्ण करने पर आमादा है। अतः अभिलेख निबेशाला के पालन हेतु पार्थ। हमने पत्रावली का अवलोकन किया कि दर्ज बहस पर मनन किया प्रार्थना पत्र वर्णित तथ्यों पर मूल प्रह में लाख सबूत लिया जाकर गुणावगुण पर निर्णय किया जायेगा। प्रथम दृष्टया भाषता सुविधा सन्तुलन व अपूरणीय क्षति तथ्यों के पक्ष में बनता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मूल वाद 2025/68 के निर्णय तक मौजा देवरिया प0ह0 पोवली की आ0सं0 180 रकबा 0.58 हेक्टेयर के राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। पत्रावली कैपल फाइल सेल जाकर से कम हो। आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन